न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केंप भोपाल

PBR/अपील/होशंगाबाद/भू.रा./2017/2547

खुशीलाल उम्र करीब 62 वर्ष, आ. खुन्नू
ग्राम कोटवार ग्राम पनारी तहसील पिपरिया
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)....................................अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय होशंगाबाद
.........उत्तरवादी

<u>अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा.संहिता</u>

उपरोक्त अपील अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 4ख19(1) वर्ष 2009-10 खुशीलाल विरुद्ध शासन एवं न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा रा.प्र.क. 282/अपील/2013-14 आदेश दिनाँक 16.03.2017 से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश– ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/अपील / होशंगाबाद / भू.रा. / 2017 / 2547

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपीलार्थी की ओर से यह अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 16–3–2017 के विरूद्ध दिनांक 11–7–2017 को लगभग दो माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये हैं, वह विलम्ब का समाधान कारक कारण नहीं है । फलस्वरूप यह अपील प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	